

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप संख्या :- 1/नि0 1-03/2008 (खण्ड-2) / पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के जनशिकायत कोषांग के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के माध्यम से संविदा के आधार पर नियोजित श्री संजय कुमार सिंह, डाटा इंटी ऑपरेटर को माह जनवरी, 2017 से पारिश्रमिक राशि का 10% की वृद्धि के फलस्वरूप माह जनवरी एवं फरवरी, 2017 का बकाया पारिश्रमिक (अंतर राशि) के भुगतान हेतु कुल ₹ 2,676/- (दो हजार छः सौ छिहत्तर रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश : जनशिकायत कोषांग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 556, दिनांक 19.02.2008 एवं पत्रांक-1580 दिनांक-27.05.2008 के आलोक में स्वीकृत।

2- व्यय का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या संख्या-08 के अधीन आय-व्यय शीर्ष "2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं-090-सचिवालय-0003-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, विपत्र कोड-08 2251000900003 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 2802-संविदा सेवाएं से होगा।

3- राशि की निकासी अवर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा श्री संजय कुमार सिंह, डाटा इंटी ऑपरेटर को पारिश्रमिक भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन भवन, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक /

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 664 /

पटना, दिनांक 08/1/18

प्रतिलिपि :- अवर सचिव/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/आई0 टी0 मैनेजर, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना/श्री संजय कुमार सिंह, डाटा इंटी ऑपरेटर को सूचनार्थ प्रेषित।

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।